

पत्रांक-श्रम क०सं०-18/2025-१६)
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 श्रमिक के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् **कुल राशि रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र)** का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेशों के क्रमशः ज्ञापांक सं०-1266, दिनांक-19.09.2025 के क्रम संख्या- 59, में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त लाभुक का बैंक खाता का त्रुटिपूर्ण रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-1266, दिनांक-19.09.2025 के क्रम संख्या- 59, को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-657, दिनांक-28.04.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार के आश्रितको स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ताता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० राजेश चौधरी 31, सीता चौधरी SC	रीना देवी (पत्नी)	657 28.04.2026 एवं 1302 26.08.2025	ग्राम-बनकट, पो०-बड़ा बरियारपुर, थाना-म० मोतिहारी, प्र०-मोतिहारी सदर, जिला-पूर्वी चम्पारणप 6207514317	100181 103012 5889	BGB PUNBO MBG06	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल:-रु० 2,00,000/-
(दो लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-1266, दिनांक-19.09.2025 के क्रम संख्या- 59 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

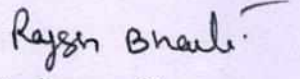
ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-18/2025-१६।

पटना, दिनांक :- १९.९.२०२६/१९.९.२०२६/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करना सुनिश्चित करेंगे।

श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/उप श्रमायुक्त, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


22/07/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक